शिक्षा में क्रांति : 57 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत

नवरात्रि पर प्रधानमंत्री मोदी सरकार की बड़ी सौगात

- केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी
- 5,862 करोड़ से खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय

नई दिल्ली, 01 अक्टूबर. नवरात्रि के पावन अवसर पर मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी 'एक्स' पर साझा करते हुए इसे 'विकसित भारत' की ओर एक निर्णायक कदम बताया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को हरी झंडी दे दी है. इस फैसले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा की. उन्होंने इसे बच्चों के भविष्य को सशक्त बनाने और 'विकसित भारत' की निर्माण यात्रा को गति देने की दिशा में एक ठोस प्रयास बताया. शाह ने लिखा, मोदी सरकार ने इस नवरात्रि हर आयु-वर्ग को एक के बाद एक सौगातें दी हैं.

देश के बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा से सम्पन्न बनाकर 'विकसित भारत' की निर्माण यात्रा को गति देने के लिए आज केन्द्रीय कैबिनेट ने 57 नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है. इन विद्यालयों की स्थापना देशभर के विभिन्न क्षेत्रों में की जाएगी और इसके लिए कुल 5,862.55 करोड़ की लागत का अनुमान है.

अमित शाह ने बताया कि ये स्कूल न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, बल्कि 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के तहत निर्धारित आधुनिक सुविधाओं और मूल्यों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेंगे. इन विद्यालयों के माध्यम से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को भी बेहतर शैक्षिक अवसर मिल सकेंगे. सरकार का उद्देश्य शिक्षा को समावेशी और तकनीक-संवलित बनाकर देश के भविष्य को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भारत के शिक्षा ढांचे में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगा, जिससे आने वाले वर्षों में देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकेगा.

5900 करोड़ रुपये का खर्च होंगे

केन्द्र कर्मियों के बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों की बढ़ती जरुरत के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने का फैसला किया है जिसमें करीब 5900 करोड़ रुपये का खर्च होगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने को मंजूरी दी गयी है. उन्होंने बताया कि इन विद्यालयों की स्थापना के लिए 2026-27 से नौ वर्षों की अवधि में कुल अनुमानित 5862.55 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे. इसमें 2585.52 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होगी और 3277.03 करोड़ रुपये का परिचालन होगा. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने रक्षा और अर्धसैनिक बलों सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय और अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे देश में एक समान मानक की शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु नवंबर 1962 में केंद्रीय विद्यालय योजना को मंजूरी दी थी.

200 भाकपा कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ

दंतेवाड़ा. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कटेकल्याण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के 200 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.

कांग्रेस की नीतियों, विचारधारा एवं जनहितैषी कार्यों से प्रभावित होकर इन कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से कांग्रेस परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया. इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ नेताओं ने सभी नए कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का गमछा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जो आदिवासियों, किसानों, युवाओं और मजदूरों की सच्ची आवाज बनकर काम करती है. नए सदस्यों ने विश्वास जताया कि कांग्रेस में जुड़कर वे क्षेत्र के विकास, जनता की समस्याओं के समाधान और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूती देंगे.

सेना प्रमुख पहुंचे भुज वायुसेना स्टेशन

- ऑपरेशनल तैयारियों की ली जानकारी

नई दिल्ली 01 अक्टूबर. देश के थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को भुज वायुसेना स्टेशन का दौरा किया. इस दौरान उन्हें क्षेत्र में भारतीय थलसेना और भारतीय वायुसेना के बीच ऑपरेशनल तैयारी तथा आपसी सहयोग और तालमेल की जानकारी दी गई.

दरअसल, थलसेना और वायुसेना के बीच बेहतर संयुक्तता और समन्वय सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है. सेनाध्यक्ष ने यहां तैनात सैन्य कर्मियों को उनके कार्य के लिए धन्यवाद देते हुए राष्ट्र सेवा के प्रति उनके अटूट संकल्प और जज्बे की सराहना की. इस दौरे के दौरान जनरल द्विवेदी ने वायुसेना के अधिकारियों से भेंट की और उनके पेशेवराना अंदाज, समर्पण तथा साझा संचालन भावना की सराहना की.

जन सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को नई रफ्तार

नीतीश ने 4233 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण

पटना, 01 अक्टूबर. बिहार में आधारभूत ढांचे और जन सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 4233 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का रिमोट से शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया. ये योजनाएं राज्य के पंचायत स्तर तक सशक्तिकरण और आमजन को सीधी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना स्थित अपने सरकारी आवास 'एक अणे मार्ग' से रिमोट कंट्रोल के जरिए 4233 करोड़ रुपये की लागत वाली जन सुविधा और विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया. इन योजनाओं में पंचायती राज, भवन निर्माण, कृषि सहित कई विभागों की प्रमुख योजनाएं शामिल हैं.

> मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अगस्त 2025 की अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित दो लाख 41 हजार से अधिक किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 113 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी. पंचायती राज विभाग के तहत 1823 करोड़ की लागत से 663 पंचायत सरकार भवन और 500 करोड़ की लागत से 1000 कन्या विवाह मंडपों का शिलान्यास किया गया. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में आधुनिक विवाह भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों को सुविधा मिलेगी और विवाह आयोजन खर्च कम होगा.

तीन देशों ने हमास से ट्रम्प की गाजा योजना स्वीकार करने का किया आग्रह

मॉस्को. कतर, मिस्र और तुर्की ने हमास से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की गाजा योजना को स्वीकार करने का आग्रह किया है. सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. ट्रम्प ने गाजा संघर्ष को हल करने के लिए 20-सूत्रीय योजना का प्रस्ताव सामने रखा. इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ, तत्काल युद्धविराम और 72 घंटों के भीतर बंधकों की रिहाई की मांग की गयी है. प्रस्तावित योजना में यह भी निर्धारित किया गया है कि हमास और अन्य समूहों को गाजा शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी छोड़नी होगी. प्रस्ताव के मुताबिक गाजा का शासन एक तकनीकी, गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति द्वारा किया जाएगा.

दिल्ली को बना दिया नरक ! : केजरीवाल

ट्वीट कर कहा- सरकार नहीं चलानी आती, सिर्फ जनता को तड़पाते हैं

नई दिल्ली 01 अक्टूबर. दिल्ली के हालात पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट के जरिए आरोप लगाया कि सरकार ने दिल्लीवासियों की जदिगी को नरक बना दिया है.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है. इस बार उन्होंने दिल्ली की बदहाल स्थिति को लेकर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा इन लोगों ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया. लोगों की ज़िंदगी नरक बना दी इन्होंने. इन्हें सरकार नहीं चलानी. इन्हें काम नहीं करना. इनका मकसद सिर्फ़ लोगों को परेशान करना है.

केजरीवाल का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दिल्ली में बढ़ती महंगाई, जलभराव, ट्रैफिक और प्रदूषण को लेकर आम जनता परेशान है. सूत्रों के अनुसार, हाल ही में हुई दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव की पृष्ठभूमि में यह ट्वीट सामने आया है.

केजरीवाल ने यह भी संकेत दिया कि जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक केंद्र का हस्तक्षेप जनता की मुश्किलें बढ़ाता रहेगा. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सिर्फ़ राजनीतिक लाभ के लिए दिल्ली सरकार के कामों में अड़चन डाल रहा है. दिल्ली के लोगों को साफ़ पानी, स्वच्छ हवा और सुविधाएं चाहिए, न कि सियासी झगड़े, केजरीवाल ने अपने ट्वीट में जोड़ा. आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि दिल्ली के हर नागरिक के साथ यह अन्याय है और पार्टी इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाएगी.

> विपक्षी पार्टियों ने अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. केजरीवाल का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ ने उनकी बात का समर्थन किया तो कुछ ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया.

योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी

सिख समाज ने दिया धरना

लखनऊ 1 अक्टूबर. महाराष्ट्र के मौलाना द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बुधवार को प्रदेश के 45 जिलों से आये सिख समाज के प्रतिनिधियों ने लखनऊ में धरना देकर विरोध दर्ज कराया.

इस दौरान लखनऊ की पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया भी साथ मे थी. परिवर्तन चौक पर धरना दे रहे सिख समाज ने मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. गुरू गोविन्द सिंह सेवा समिति उप्र के महामंत्री सरदार परवीन्दर सिंह एडवोकेट ने कहा की सिख समाज सभी धर्मो का सम्मान करता है एवं राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहता है. महाराष्ट्र के मौलाना के द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के विषय में निष्कृष्ट शब्दों का उपयोग किया गया है, वह अत्यन्त निन्दनीय है व असहनीय है. उन्होंने कहा कि उप्र का सिख समाज एकत्र होकर आज यहां यह संदेश देना चाहता है कि मुख्यमंत्री जो कि सिख गुरूओ के प्रति गहरी श्रद्धा एवं आस्था रखते है एवं संत प्रवृत्ति के है.

> ऐसे कर्म योगी के विषय में कोई भी अनैतिक कार्य सिख समाज बर्दाश्त नही करेगा एवं स्वयं ढाल बनकर खड़ा होगा. कानपुर से आये हुए उत्तर प्रदेश सिख फाउण्डेशन के अध्यक्ष अजीत सिंह छाबड़ा एवं सरदार खीन्दर सिंह रिन्कू तथा गुरुविन्दर वासू एवं राजेन्द्र सिंह नीटा ने मुख्यमंत्री के द्वारा सिख समाज के लिये किये गये कार्यों के विषय में विस्तार से बताया. बहराइच गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष मनदीप सिंह वालिया ने मुख्यमंत्री को सनातन धर्म रक्षक बताया एवं उनके लिये सदैव खड़े रहने की बात कही.

शिवराज सिंह चौहान ने बढ़े एमएसपी पर जतायी खुशी

नयी दिल्ली, 01 अक्टूबर. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि दलहन मिशन और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में हुये इजाफे से खेती और किसानों के कल्याण पर खासा असर पड़ेगा. उन्होंने यहां जारी एक बयान में कहा कि वह देश के किसानों की ओर से इन निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं.

ये फैसले देश की खाद्य, पोषण सुरक्षा और किसान कल्याण और कृषि पैदावार के क्षेत्र में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने किसान हित को सर्वोपरि मानते हुए संसाधनों एवं योजनाओं को समग्र रुप से जोड़ने की दिशा बनायी है और यह किसानों के प्रति मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता .

योगी जी और उत्तर प्रदेश प्रशासन मुझे बचाएं

झांसी. माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बुधवार को प्रयागराज की नैनी जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच झांसी जिला जेल में लाया गया. इस दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किये गये थे और वैन में उसकी निगरानी के लिये पांच से छह पुलिसकर्मी मौजूद थे. जब अली अहमद को वैन से जेल के भीतर ले जाने के लिए निकाला जाने लगा तो वह उत्तर प्रदेश प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी हिफाजत की अपील करता हुआ नजर आया. अली ने कहा गाड़ी में पांच से छह लोग मेरे साथ थे. वहां से वैन में यहां लाया गया है और पानी भी नहीं पी पाया हूं. उत्तर प्रदेश प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो लोग मुझे सता रहे हैं उनसे मुझे बचाएं. इससे पहले अली के झांसी जेल स्थानांतरण की जानकारी मिलने के बाद से ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था और जिला जेल में सुरक्षा के इंतजामों को पहले से ही चाकचौबंद कर लिया गया था.

विवाह-प्रसव, पॉक्सो एफआईआर रद्द करने का आधार नहीं

नागपुर, 01 अक्टूबर. बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने फैसला सुनाया है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि नाबालिग पीड़िता ने बाद में आरोपी से शादी कर ली और उसके बच्चे को जन्म दिया.

न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के और न्यायमूर्ति नंदेश देशपांडे की खंडपीठ ने 27 सितंबर को एम. ए. बेघ और उनके परिवार के दो सदस्यों द्वारा दायर आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज पॉक्सो और भारतीय न्याय संहिता के मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी. अदालत के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों से संकेत मिलता है कि बेघ ने दो जून, 2024 को लड़की से शादी की थी, जब वह 17 वर्ष की थी और लड़की ने बाद में मई 2025 में एक लड़के को जन्म दिया. बच्चे के जन्म और लड़की की नाबालिग स्थिति के बारे में जानने के बाद पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी. बचाव पक्ष में, पीड़िता जो अब वयस्क है, ने अदालत में आरोपी का समर्थन करते हुए कहा कि यह रिश्ता सहमति से बना था और विवाह दोनों परिवारों की सहमति से हुआ था.

> उसके वकील ने तर्क दिया कि यह मामला किशोरावस्था के प्रेम का एक असाधारण मामला है और अभियोजन से माँ और बच्चे दोनों को नुकसान होगा. हालाँकि उच्च न्यायालय ने माना कि नाबालिग की सहमति पॉक्सो अधिनियम के तहत कानूनी रूप से अप्रासंगिक है और आरोपी द्वारा नाबालिग की उम्र की जानकारी, नाबालिग को उसकी वैध हिरासत से हटाए जाने के क्षण से ही.

आज का इतिहास

1869 : मोहनदास करमचंद गांधी (महात्मा गांधी) का गुजरात के पोरबंदर में जन्म.
1904 : पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म.
1952 : सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत.
1955 : मद्रास के पेरम्बूर में इंटिग्रल कोच फैक्टरी ने रेल का पहला डिब्बा बनाया.
1968 : मेक्सिको सिटी में ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले छात्रों का आंदोलन. पुलिस के साथ संघर्ष में 25 लोगों की मौत.
1982- ईरान की राजधानी तेहरान में बम विस्फोट से 60 मरे, 700 घायल.
1985- दहेज निषेधाज्ञा संशोधन कानून अस्तित्व में आया.
1989- तमिलनाडु में मंडपम और पम्बन के बीच समुद्र के ऊपर सबसे लंबा पुल खुला.
2000 - भारत और रूस के बीच पुराने दोस्ताना संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ते हुए रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन चार दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे.
2001- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने अफगानिस्तान पर हमले की स्वीकृति दी.
2004- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कांगों में 5900 सैनिक भेजने का प्रस्ताव मंजूर किया.
2006- परमाणु ईंधन आपूर्ति मामले में दक्षिण अफ़्रीका ने भारत को समर्थन देने का फैसला किया.
2007- उत्तर कोरिया तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरी शिखर बैठक सम्पन्न हुई.
2012- नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने 20 छात्रों की हत्या.

RBL BANK apno ka bank

आरबीएल बैंक लिमिटेड

प्रशासनिक कार्यालय : पहली लेन शाहुपुरी, कोल्हापुर-416001

शाखा कार्यालय : आरबीएल बैंक लिमिटेड, 9वीं मंजिल, टेक्नीप्लेक्स-I, ऑफ वीर सावरकर फ्लायओवर, गोरेगांव (पश्चिम) मुम्बई - 400 062

सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण नोटिस

नीचे कॉलम में उल्लेखित ऋणी एवं सह-ऋणी के सिक्योर्ड क्रेडिटर **आरबीएल बैंक लिमिटेड** द्वारा आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपके मूलधन एवं ब्याज की अदायगी/ पुर्नअदायगी न करने पर आपके खातों को हमारे खातों में नॉन-परफार्मेंस एकाउंट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। अब आपको नोटिस दिनांक तक निम्न उल्लेखित कुल बकाया एवं देय राशि अनुवर्ती ब्याज सहित आरबीएल बैंक लिमिटेड को भुगतान करना है। हमारे बार-बार मांग करने के बावजूद भी आपने अपने खातों में बकाया राशि(यों) का भुगतान नहीं किया है और आपने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया है,

इसलिए हमारे द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूतिहित प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था जिसमें आपके दायित्वों का पूर्ण रुप से निर्वाह करने के लिए नोटिस की प्राप्ति की तिथि से **60 दिन** के अंदर अनुबंधित दरों पर आगे का ब्याज, खर्च, शुल्क एवं अन्य राशियों सहित उपर्युक्त निर्दिष्ठ बकाया देय राशि का भुगतान करने की मांग की गई थी।

ऋण खाता क्रं., ऋणी का नाम, 13(2) नोटिस विवरण एवं सांकेतिक आधिपत्य दिनांक

1) **श्री देवेंद्र विष्णु दुबे** (आवेदक एवं बंधककर्ता)
2) **श्रीमती शोभा देवेंद्र दुबे** (सह-आवेदक एवं बंधककर्ता)

पत्राचार का पता

1) 30, पुराना सुभाष नगर, इंदौर, नंदा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश 452 011
2) प्लॉट नंबर एस-129, सिंगापुर ग्रीन व्यू कॉलोनी, सर्वे नंबर 10/2 एवं 13/1 वाली भूमि का परिवर्तित टुकड़ा, ग्राम तलावली चांदा, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश 453 771

Loan Account Nos.	Loan Amount in Rs.
809003134190	Rs.20,45,000/-
809003168195	Rs.7,90,000/-

एनपीए की तारीख : 02/05/2025
13(2) सूचना की तारीख : 25/09/2025
13(2) सूचना की रकम : रु. 27,13,190/-

बंधक संपत्ति का विवरण

गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण :
सम्पत्ति मालिक – श्री देवेंद्र विष्णु दुबे एवं श्रीमती शोभा देवेंद्र दुबे

प्लॉट नंबर एस-129, सिंगापुर ग्रीन व्यू कॉलोनी का पूरा टुकड़ा, सर्वे नंबर 10/2 एवं 13/1 वाले डायवर्टेड प्लॉट पर, ग्राम तलावली चांदा में, क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश 453 771

जिसकी चर्तुसीमाएँ निम्नानुसार है :-
पूर्व दिशा में - सड़क
दक्षिण दिशा - प्लॉट नंबर एस-128,
पश्चिम दिशा - प्लॉट नंबर एस - 139,
उत्तर दिशा - प्लॉट नंबर एस - 130

अब आपके दायित्वों के पूर्ण निर्वाह हेतु **आरबीएल बैंक लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी द्वारा एतदद्वारा नियमों के अधीन यथा प्रदत्त उपर्युक्त डिमांड नोटिस की विषय-वस्तु प्रकाशित की जा रही है अन्यथा हम कथित नियम के अंतर्गत दिए गए किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके द्वारा हमारे पक्ष में निम्नलिखित सृजित जमानत को जब्त करने के लिए बाध्य होंगे।

कृपया नोट करें कि इसे कानून के अंतर्गत कथित फाईनैंशियल के कर्जदारों एवं गारंटरो के विरुद्ध आरबीएल बैंक के लिए तथा उपलब्ध कथित अधिकारों एवं उपयों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना प्रकाशित किया गया है। आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि नोट करें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार हमारी पूर्व अनुमति के बिना आपके द्वारा उपर्युक्त जमानत का निपटान या लेनदेन करना या बिक्री, पट्टा या अन्य किसी भी रुप में उपर्युक्त जमानती संपत्ति का हस्तांतरण प्रतिबंधित/ वर्जित है। **हस्ता.**

स्थान : इंदौर (म.प्र.)
दिनांक : 01/10/2025

आरबीएल बैंक लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी, अभय निकम,

PhoenixARC

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः तीसरी मंजिल, वालेस टावर 139-140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे क्रॉसिंग, विले पार्ले (पूर्व) मुंबई - 400 057. **दूरभाषः** 022- 6849 2450, **फैक्सः** 022- 6741 2313
सीआईएनः U67190MH2007PTC168303 **ईमेलः** info@phoenixarc.co.in, **वेबसाइटः** www.phoenixarc.co.in

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ। इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकताओं/गारंटरों/बंधककताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड - समनुदेशक के रूप में जाना जाता था) द्वारा ऋण के समनुदेशन के अनुसरण में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड को गिरवी रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए "जैसी है जहाँ है, जैसी है और बिना किसी सहारे के" के आधार पर "ऑनलाइन ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे विस्तार से बताया गया है। 2002) को वेबसाइटः www.phoenixarc.co.in/ के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार खरीदा जा सकता है।

ई-नीलामी की तिथि और समयः 27-10-2025 / सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

सं. क्र.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ ऋण खाता	मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि और अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि
1	लैनः LXKHA00417-180053061 शाखाः खरगोन उधारकर्ताः राजू वर्मा सह-उधारकर्ताः नानी बाई वर्मा	10-12-2020 रु. 606870/- (छह लाख छह हजार आठ सौ सत्तर मात्र)	पी.एच.नं. 02, गुड़मिया मोहल्ला, निवाली, बड़वानी, मध्य प्रदेश - 451667	आरक्षित मूल्यः रु.500000/- (पाँच लाख) अग्रिम जमाः रु.50000/- (पचास हजार) अग्रिम जमा की अंतिम तिथिः 26-10-2025
2	लैनः LXDEW00315-160018110 शाखाः देवास उधारकर्ताः मुकेश पांचाल सह-उधारकर्ताः ममता पांचाल	22-06-2018 रु. 811088/- (आठ लाख ग्यारह हजार अट्ठासी मात्र)	मकान प्लॉट 270, वार्ड नंबर 08, ग्रीन फुलेन अकोदिया तहसील सुजालपुर सर्वे नंबर 227 अकोदिया मोमन बडोदिया शाजापुर465223 म.प्र.भारत	आरक्षित मूल्यः रु. 562166/- (पाँच लाख बासठ हजार एक सौ छियासठ मात्र)अग्रिम जमाः रु.56217/- (छप्पन हजार दो सौ सत्रह मात्र) अग्रिम जमा की अंतिम तिथिः 26.10.2025
3	लैनः LXKHA00416-170040744 शाखाः खरगोन उधारकर्ताः ओंकारसिंह सोभागसिंह तोमर सह-उधारकर्ताः शांताबाई शोभागासिंह तोमर	16-07-2021 रु. 1547355/- (पंद्रह लाख सैंतालीस हजार तीन सौ पचपन मात्र)	पी.एच.नं. 41, ग्राम बोरदाद, राम मंदिर के पास, पुनासा, खंडवा, मध्य प्रदेश - 450114	आरक्षित मूल्यः रु.200000/- (दो लाख) अग्रिम जमाः रु.20000/- (बीस हजार) अग्रिम जमा की अंतिम तिथिः 26-10-2025
4	लैनः LXKHA00117-180055285 शाखाः खरगोन उधारकर्ताः राहुल कुमार डोंगरे सह-उधारकर्ताः पूणानंद रामेश्वर डोंगरे	23-12-2020 रु. 608874/- (छह लाख आठ हजार आठ सौ चौहत्तर मात्र)	पी. एच. नं. 49, ग्राम सगुर, भीकांगन, खरगोन, खरगोन, मध्य प्रदेश - 451331	आरक्षित मूल्यः रु. 500000/- (पाँच लाख) अग्रिम जमाः रु. 50000/- (पचास हजार) अग्रिम जमा की अंतिम तिथिः 26-10-2025
5	लैनः LXKHA00216-170044420 शाखाः खरगोन उधारकर्ताः ममता संजय जोशी सह-उधारकर्ताः संजय सुभाष जोशी	25-10-2018 रू. 446124/- (चार लाख छियालीस हजार एक सौ चौबीस रुपये)	क्रमांक 99 वार्ड क्रमांक 03 ग्राम पीपलगांव, तह. कसरावद, जिला. खरगोन पीपलगांव खरगोन मध्य प्रदेश 451228	आरक्षित मूल्यः रु. 500000/- (पाँच लाख) अग्रिम जमाः रु. 50000/- (पचास हजार) अग्रिम जमा की अंतिम तिथिः 26-10-2025

ई-नीलामी के नियम और शर्तेंः 1. नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बोलीदाता बोली संबंधी जानकारी और सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली फॉर्म के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स मेसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड वेब पोर्टलः https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं। इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तें और प्रक्रिया देख सकते हैं और तरुण रघुवंशी 9324921028 और विजय सिंह 9372505110, शैलेश अयंगर 9833801159 से संपर्क कर सकते हैं, विवरण उपर्युक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्कः +91 83709 69696, ई-मेल आईडीः contact@auctionbazaar.com पर संपर्क कर सकते हैं। 2. सभी इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को उपरोक्त पोर्टल https://www.auctionbazaar.com/ पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और उपरोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। 3. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को सुरक्षित संपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य बयाना राशि के भुगतान का विवरण, पैनकार्ड की प्रतियों, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण के साथ उपरोक्त ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले जमा करना होगा। इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित प्रत्येक वस्तु/संपत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करनी होगी। 4. नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या नीलामी स्थगित कर सकता है। 5. सफल क्रेता/बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करवाने के लिए देय सभी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, क्रय मूल्य पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। 6. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, भार, नीलामी में रखी गई सुरक्षित संपत्ति के स्वामित्व और सुरक्षित संपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों, जिनमें वैधानिक बकाया आदि शामिल हैं, के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। नीलामी विज्ञापन फीनिक्स की किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा। फीनिक्स का अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 7. संभावित/इच्छुक बोलीदाता को यह वचन देना होगा कि वह दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईसी दस्तावेजों के साथ ऐसा वचन देने में विफल रहने पर उसे स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

स्थानः मध्य प्रदेश
दिनांकः 02.10.2025

अनुवाद में त्रुटिया विसंगति होने पर अंग्रजी संस्करण मान्य होगा

हस्ताक्षरकर्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड